महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
निपुण भारत

वेब–साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

इन्डेक्स नं. 9340
श्री...

ई–मेल द्वारा

राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

26 DEC 2023

D.C. (Civil) तत्कालअपेक्षित कार्यवाही

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सिद्धार्थनगर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांकः नि०का०/स०शि०/बजट/11859/2023–24 दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

विषयः समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण हेतु 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

समग्र शिक्षा, उत्तर–प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023–24 में यू–डायस डाटा 2021–22 के आधार पर जीर्ण–शीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण/नवनिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरणानुसार अवमुक्त की जा रही है (संलग्नक–1)।

उपर्युक्त स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि०का०/स०शि०/सा०नि०का०/3256/2023–24 दिनांक 14 जून, 2023 द्वारा विस्तृत निर्देश देते हुए कार्यों को पूर्ण कराने हेतु तिथि निर्धारित की गयी है। साथ ही समस्त कार्यों हेतु बजट प्राप्त होने से पूर्व की समस्त प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण करा लिये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे, ताकि धनराशि अवमुक्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा लिया जाये। इस हेतु स्वीकृत प्राथ्ममिक विद्यालय पुनर्निर्माण की विद्यालयवार सूची भी जनपदों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण के कार्यों को प्रारम्भ कराते हुए पूर्ण कराने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:–

- जिला परियोजना कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किये गये प्रस्तावों के सापेक्ष, सम्बन्धित यू–डायस कोड के क्रम में ही निर्माण कार्य को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है, अतः स्वीकृत निर्माण स्थल जनपद स्तर पर अपरिवर्तनीय हैं।
- स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु निर्देशानुसार धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
- **स्वीकृत निर्माण कार्यों को उपलब्ध कराये गये तकनीकी मैनुअल में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराया जाये।**
- अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने वाले समस्त कार्यों की स्वीकृत इकाई लागत में कुल लागत का 01 प्रतिशत लेबर सेस सम्मिलित है, जिसे जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

➢ **जीर्ण–शीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण/नवनिर्माण**

शासनादेश संख्या 15/68–5–2019 दिनांक 22 जनवरी, 2020, शासनादेश संख्या–855/68–5–2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 1497/68–5–2020 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020, शासनादेश संख्या 322/68–5–2022–178–2021 दिनांक 02 मार्च, 2022 दिनांक 02 मार्च, 2022

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

तथा शासनादेश संख्या 1503/68-5-2023-178-2021 दिनांक 04 अगस्त, 2023 के अनुसार जीर्ण-शीर्ण विद्यालय के असुरक्षित होने तथा जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उसके ध्वस्तीकरण की संस्तुति के आधार पर ऐसे विद्यालयों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। उक्त शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तकनीकी समिति से भवन का मूल्यांकन कराकर एवं नीलामी हेतु गठित समिति से नीलामी कराकर, नीलामी से प्राप्त धनराशि सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी। तदोपरान्त विद्यालय के पुनर्निर्माण/नवनिर्माण की कार्यवाही की जायेगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण में निम्नवत् प्रावधान किया गया है:-

प्राथमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण : इसके अन्तर्गत भूकम्परोधी प्राथमिक विद्यालय के **मूल भवन का निर्माण, बालक तथा बालिका शौचालय एवं विद्युतीकरण** का कार्य कराया जायेगा। मूल भवन में 6X5 मी0 माप के दो कक्ष, 4 X 3.30 मी0 मी0 माप का एक ऑफिस एवं 2.7 मी0 चौड़ा बरामदा एवं एक रैम्प का हैण्डरेल के साथ निर्माण संलग्न ड्राइंग/डिजाइन **(संलग्नक-2)** के अनुसार कराया जायेगा।

निर्माण कार्य प्रक्रियाः

शासनादेश संख्या 2223/79-5-2012-29/09 टी0सी0-।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा (संलग्नक-2) निर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगाः

- निर्माण कार्य की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
- विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती है:-
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
- विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो(शिक्षकों से भिन्न)
- उक्त उप समिति के दो अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उपसमिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाइल नं0 भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेंगे।
- विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति के न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा साइट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिजाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत वित्तीय नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।
- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें से एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी और गुणवत्ता सम्बन्धित शिकायत होने पर लिखित रूप से विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट विवरण सहित सूचित किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता के साथ प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच करने के उपरान्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
- विद्यालय के खाते का विधिवत् रख-रखाव तथा अभिलेख रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय उनके द्वारा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगाः–

- स्वीकृत निर्माण कार्य की धनराशि चयनित विद्यालय के विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में अधिकतम 05 दिवस के अन्दर स्थानान्तरित कर दी जाय।
- खाते का परिचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव(प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- जनपद द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के आधार पर ही सम्बन्धित विद्यालय को उसके यू–डायस कोड के साथ ही निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है इसलिए जनपद स्तर पर स्वीकृत विद्यालयों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- जनपद में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, निर्धारित भवन प्रभारी अध्यापकों का सम्बन्धित ब्लाक संसाधन केन्द्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक(निर्माण) द्वारा अलग–अलग प्रकार के निर्माण कार्यो की विशिष्टिकाओं, मानक, ड्राइंग, डिजाइन, आगणन, निर्माण प्रक्रिया, वित्तीय प्रबन्धन तथा अभिलेखों के रख–रखाव आदि का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- निर्माण कार्य का ले–आउट एवं निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों का तकनीकी पर्यवेक्षण यथासम्भव जिला समन्वयक (निर्माण) द्वारा किया जायेगा। यदि जनपद में स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या अधिक हो तो उस स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से जनपद में तैनात ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं की सेवाएं इस प्रयोजन हेतु ली जायेंगी।

निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तथा जांच कार्य की प्रक्रियाः

- भवन के निर्माण कार्यों में आवश्यकतानुसार तकनीकी पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के सम्बन्ध में शासनादेश सख्या 389/15–5–2002–31/2002 दिनांक 20 मार्च, 2002 तथा शासनादेश संख्या 2085/79–5–2004–31/2002 दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति से अवर अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को नामित कराकर कार्यवाही की जा सकती है।
- **शासनादेश संख्या 2223/79–5–2012–29/09 टी0सी0–।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 में निहित प्राविधानों के क्रम में** बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। **जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता हों तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही करायी जायेगी।** गम्भीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भी विकल्प होगा।
- निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व, निर्माण के मध्य एवं निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत निर्माण की फोटो (03 साइड से दृश्य) खिंचवाकर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी। निर्धारित प्रारूप पर सचिव एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक(निर्माण) द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण–पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

जनपद हेतु संलग्न डिजाइन/ड्राइंग/आगणन व उपलब्ध कराये गये टेक्निकल मैनुवल में वर्णित मानकानुसार जिला समन्वयक(निर्माण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में पूर्ण कराये जायेंगे। निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार सुनिश्चित किये जाने का दायित्व जिला समन्वयक(निर्माण), सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। अतः प्रत्येक माह जिला समन्वयक(निर्माण) विद्यालयों के निर्माण कार्य की निरीक्षण आख्या खण्ड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति आदि पर निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास अवश्य रखी जाये। जनपद में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, निर्धारित भवन प्रभारी अध्यापकों का सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय अथवा

सुविधानुसार तहसील मुख्यालय पर खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक(निर्माण) द्वारा प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के लिए स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यों को अनिवार्य रूप से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना है। अतः धनराशि प्राप्त होते ही तत्काल विद्यालय प्रबन्ध समिति को धनराशि हस्तान्तरित करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा प्रत्येक माह की 08 तारीख तक पी0एम0एस0 पोर्टल पर भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपलोड कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। स्वीकृत निर्माण कार्यों के लक्ष्य समर्पित किये जाने जैसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि स्वीकृत लक्ष्य के सापेक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, यथा– यू–डायस कोड में भिन्नता, छात्र नामांकन, स्थल उपलब्धता, विद्यालयों के ध्वस्तीकरण/नीलामी इत्यादि के सम्बन्ध में तो तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय में वरिष्ठ विशेषज्ञ(निर्माण कार्य) के संज्ञान में लाते हुए समस्या का निराकरण कराया जाये।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

Kanchan

(कंचन वर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नि0का0/समग्रशि0अ0/ बजट/ 11854 /2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
3. मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर–प्रदेश।
7. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।

Kanchan

(कंचन वर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक

संलग्नक-2

प्राथमिक विद्यालय भवन माप की ईकाई लागत

क्र0सं0		मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	
1	नींव की खुदाई	45.52	घनमी0	161.00	7328.72	✓
2	नींव में दीमक निरोधक कार्य	159.42	वर्गमी0	230 ~~210.00~~	~~33478.20~~	36666.6
3	नीव में पी0सी0सी0 (1:4:8) का कार्य	7.16	घनमी0	~~6217.00~~ 6099.00	~~44513.72~~ 43668.84	
	भूकम्प रोधी प्राविधान					
4	(a) कक्ष की दीवारों के कोनो में 175 X 115 मिमी0 माप के पाकेट में M20 का कंक्रीट का कार्य	1.02	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	8795.46 ~~9079.02~~	
	(b) उपरोक्त कार्य में लोहे की सरिया	56.87	किग्रा0	51.50	2928.81	✓
5	नींव में कुर्सी स्तर तक चिनाई का कार्य (1 : 4)	26.93	घनमी0	6519.00 ~~6781.00~~	~~182612.33~~	175556.67
6	(a) डी0पी0सी0 M20 का कंक्रीट का कार्य	1.45	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	~~12906.45~~	12503.35
	(b) उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त लोहे की सरिया	139.97	किग्रा0	51.50	7208.46	✓
7	कुर्सी स्तर से छत स्तर तक चिनाई का कार्य	33.35	घनमी0	7273.00 ~~7536.00~~	~~251325.60~~	242554.55
8	(a) सिल बैण्ड में M20 का कंक्रीट का कार्य	1.200	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	~~10681.20~~	10347.6
	(b) उपरोक्त कार्य में लोहे की सरिया	116.03	किग्रा0	51.50	5975.55	✓
9	(a) लिन्टल बैण्ड में M20 का कंक्रीट का कार्य	0.95	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	~~8455.95~~	8191.85
	(b) उपरोक्त कार्य में लोहे की सरिया	91.01	किग्रा0	51.50	4687.02	✓
10	खिड़कियों एवं दरवाजों के जैम्बस में M20 का कंक्रीट का कार्य	0.59	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	~~5251.59~~	5087.57
	(b) उपरोक्त कार्य में लोहे की सरिया	46.89	किग्रा0	51.50	2414.84	✓
11	खिड़कियों एवं दरवाजों के ऊपर लिन्टल में M20 का कंक्रीट का कार्य	0.87	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	~~7743.87~~	7502.01
12	लिन्टर्ल में लोहे की सरिया	102.44	किग्रा0	51.50	5275.66	✓
13	आर0सी0सी0 कार्य छत, छज्जा, टाँड आदि के निर्माण में M20 का कंक्रीट का कार्य	12.93	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	111495.39 ~~115089.93~~	
14	क्रम0 सं0 13 में प्रयुक्त सरिया	1015.00	किग्रा0	51.50	52272.50	✓
15	आर0सी0सी0बीम के निर्माण में M20 का कंक्रीट का कार्य	1.240	घनमी0	8623.00 ~~8901.00~~	~~11037.24~~	10692.52
16	क्रम स0 15 में प्रयुक्त सरिया	194.68	किग्रा0	51.50	10026.02	✓
17	चिनाई कार्य (1:4) के मसाले से	0.77	घनमी0	7469.00 ~~7536.00~~	~~5802.72~~	5751.13
18	मिट्टी भराव का कार्य					
अ	उपलब्ध मिट्टी	22.43	घनमी0	100.00	2243.00	✓
ब	बाहरी मिट्टी	10.76	घनमी0	100.00	1076.00	✓
19	फर्श का निर्माण कार्य –					
	(क) बालू की 4 मिमी0 परत	3.70	घनमी0	650.00	2405.00	✓
	(ख) सी0सी0 1:6:12 की कांक्रीट का कार्य 75 मिमी0 मोटी	7.11	घनमी0	4553.00 ~~4630.00~~	~~32919.30~~	32371.83
	(ग) सी0सी0 1:2:4 की कांक्रीट 25 मिमी मोटी	94.80	वर्गमी0	321.00 ~~330.00~~	~~31284.00~~	30430.80
	(घ) शीशे की फन्टी का कार्य	165.00	मीटर	6.00	990.00	
20	प्लास्टर का कार्य 1:4	323.88	वर्गमी0	186.00 ~~190.00~~	~~61537.20~~	60241.68
21	ग्रीन बोर्ड एवं स्कार्टिंग का कार्य	16.50	वर्गमी0	395.00 ~~406.00~~	~~6699.00~~	[illegible]

RKVC:\Users\HP\Desktop\All estimate 2019-20\Primary SchoolSheet2

प्राथमिक विद्यालय भवन माप की ईकाई लागत

क्र0सं0		मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	
22	लोहे एंगिल आयरन का कार्य	149.49	किग्रा0	69.00	10314.81	✓
23	लोहे के ग्रिल का कार्य	256.88	किग्रा0	69.00	17724.72	✓
24	खिड़कियों एवं दरवाजों के पल्ले 18 गेज मोटी MS के साथ एंगिल आयरन के साथ पल्ले	657.90	किग्रा0	69.00	45395.10	✓
25	छत के ऊपर (1:3) प्लास्टर का कार्य	119.74	वर्गमी0	269.00 ~~276.00~~	~~33048.24~~	32210.06
26	एप्रेन का निर्माण कार्य					
	(क) सी0सी0 1:6:12 की	1.16	घनमी0	4553.00 ~~4630.00~~	~~5370.80~~	5281.4
	(ख) सी0सी0 1:2:4 की	15.50	वर्गमी0	321.00 ~~330.00~~	~~5115.00~~	4975.5
	(ग) शीशे की फन्टी का कार्य	31.00	मीटर	6.00	186.00	✓
27	आर0सी0सी0 जाली	8	नग	60.00	480.00	✓
28	सफेद सीमेंट से सफेदी का कार्य दो कोट	434.54	वर्गमी0	9.92 ~~19.84~~	~~8621.27~~	4310.6
29	पेन्ट का कार्य	38.70	वर्गमी0	76.00	2941.20	✓
30	ड्रिप कोर्स का कार्य	59.62	मीटर	12.00	715.44	✓
31	रैम्प का निर्माण हैण्डरेल के साथ	5.40	नग	3450.00 ~~3470.00~~	~~18738.00~~	18630.0
32	विद्युतीकरण			25188.00	~~32143.00~~	
33	Total	Total		1081576.36	~~1116042.46~~	
34	Contingency @ 2%			21631.52	~~22320.85~~	
35	योग			1103207.88	~~1138363.31~~	
36	Deduction CP 10%		(−)	110320.78	~~113836.33~~	
37	Total			992887.09	~~1024526.98~~	
38	GST 12%			119146.45	~~122943.24~~	
39	LC 1%			9928.87	~~10245.27~~	
40	Grand Total			1121962.41	~~1157715.48~~	
				Say	~~11.57 Lacs~~	
				Say	Rs. 11.21 Lacs	

Note: Above estimate is prepaired on the basis of Rate of Schedule P.W.D. Lucknow August, 2020

MANISH MISHRA J.E., S.S.

J.B.S.SA

GST की दर में 12% से 18% बढ़ोतरी होने के कारण, इकाई लागत रु 11.21 लाख से बढ़ कर रु 11.81 लाख पायी गयी है।

(मनीष मिश्रा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

(सरोज नन्द झा)
अवर अभियन्ता
समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

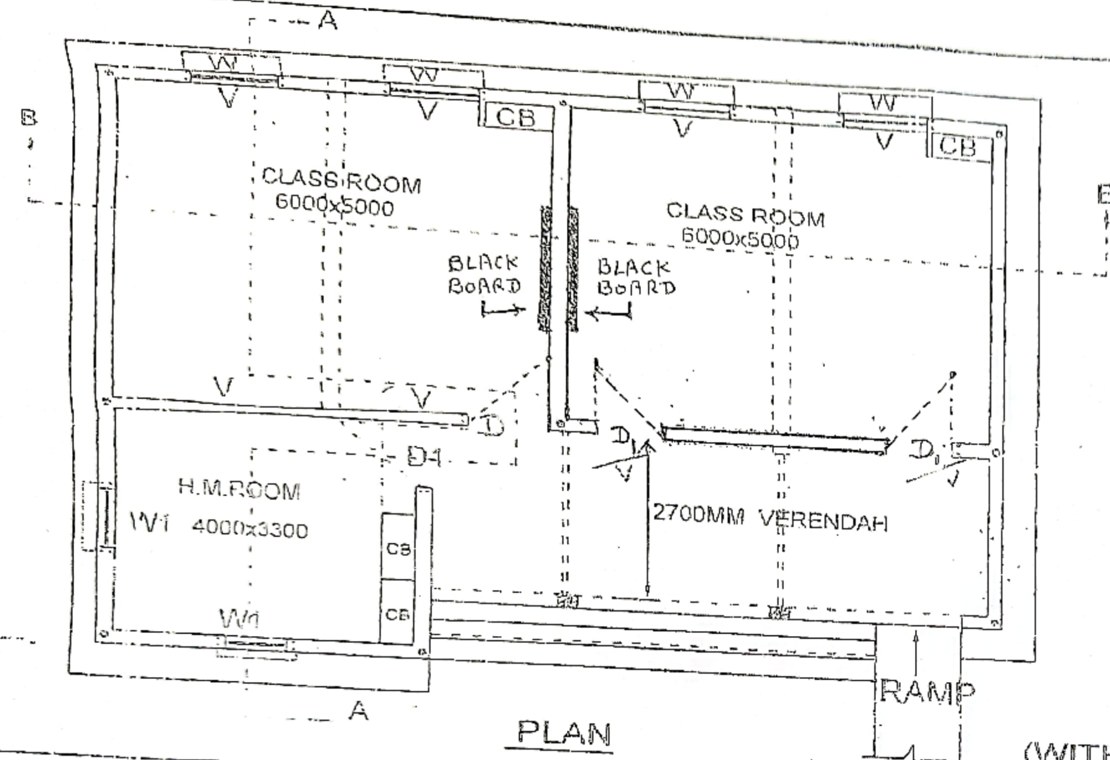

PLAN

PS DESIGN NO. 1

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

SHEDULE OF DOOR AND WINDOWS

S.NO.	TYPE	SIZE	SILL	LINT.	REMARK
1.	D	1200x2100	-	2100	DOOR (CLASS ROOM)
2.	D1	1000x2100	-	2100	DOOR (HEAD MASTER'S ROOM)
3.	W	1200x1500	600	2100	WINDOW (BACK FACE)
4.	W1	900x1500	600	2100	WINDOW (HEAD MASTER'S ROOM)
[illegible]					
6.	V	300x600			VENTILATORS
7	C.B	900x2100	-	2100	ALMIRAH

* ALL DIMNS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMNS SHALL BE FOLLOWED

DRG.NO. 01

S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.

(S.K.JHA) J.E(B.E.Civil) (DINESH MISHRA) J.E.(Civil)
S.S.A. SPO, LUCKNOW
DESIGNED & DRAWN BY

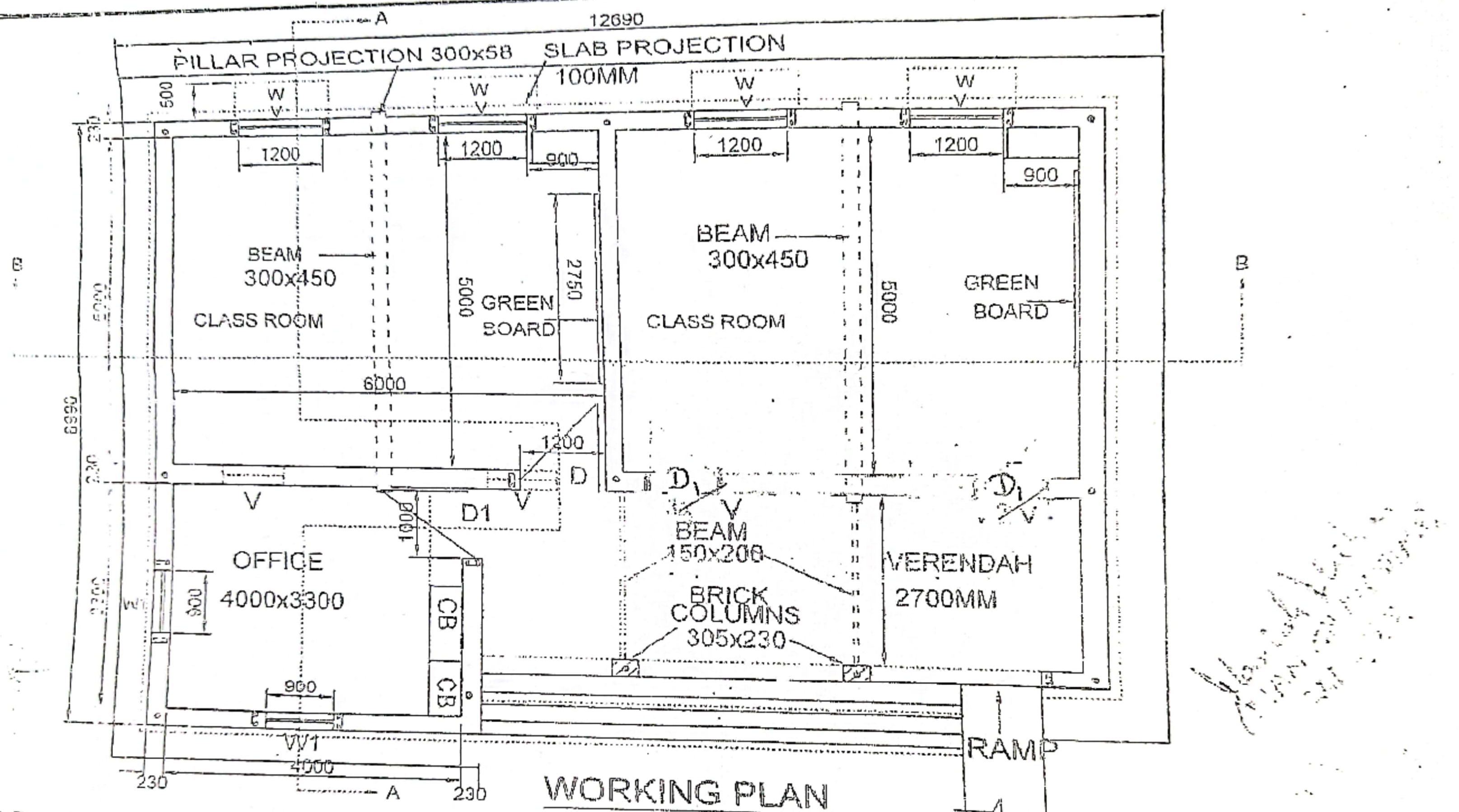

WORKING PLAN

PS DESIGN NO.1 (WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

* ALL DIMS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMS SHALL BE FOLLOWED

NOTES:-
1. All the written Dimensions are in mm which shall be strictly followed.
2. Building Layout shall be done under the guidence of J.E/A.E.
3. All R.C.C works shall be excuted under the supervision of J.E/A.E. by J.E/A.E. Before casting.
4. Centering shuttering and all types of Reinforcement shall be checked
5. All the sesmic provision must be done according to specifications.

DRG.NO. 2	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) (MANISH MISHRA) J.E.(Civil)
S.S.A. STANDARD SCHOOL MAP U.P.	S.S.A SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

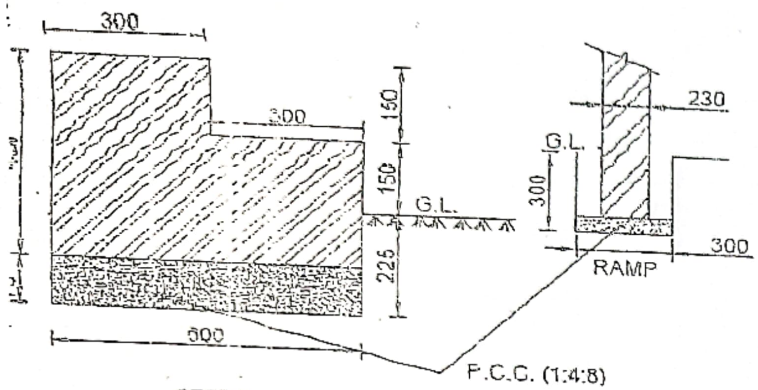

STEPS

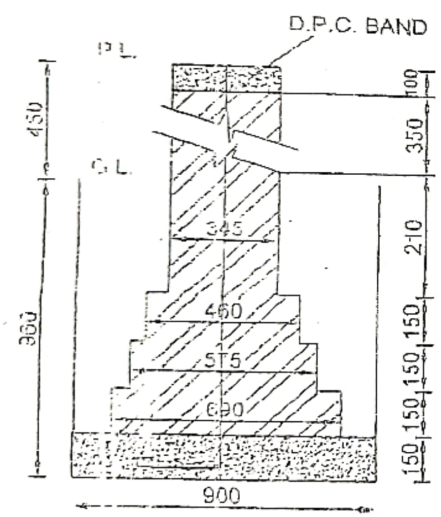

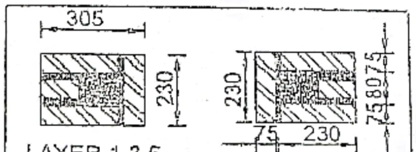

VERANDAH PILLAR

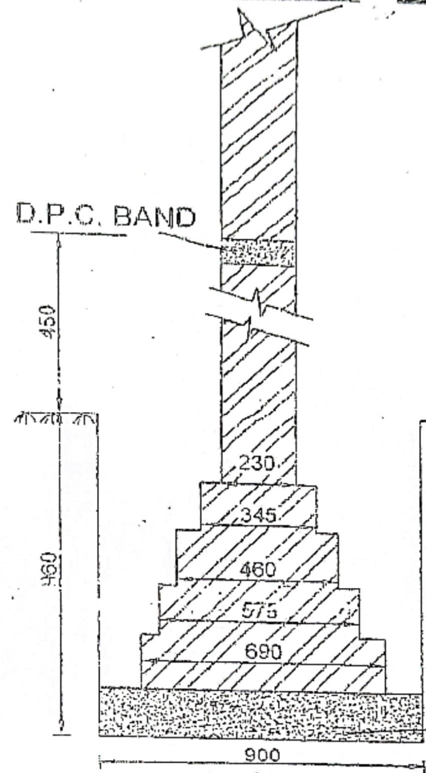

MAIN WALL

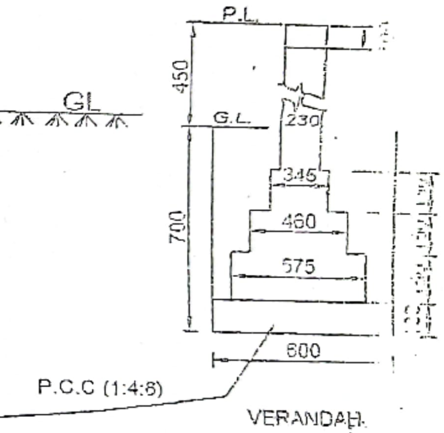

VERANDAH FOUNDATIONS

DETAILS OF VERANDAH PILLARS FOUNDATION

PS DESIGN NO. 1

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS

* ALL DIMNS. ARE IN MM
* ONLY WRITTEN DIMNS SHALL BE FOLLOWED

DRG.NO.:	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) (MANISH MISHRA) J.E.(Civil) S.S.A. SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

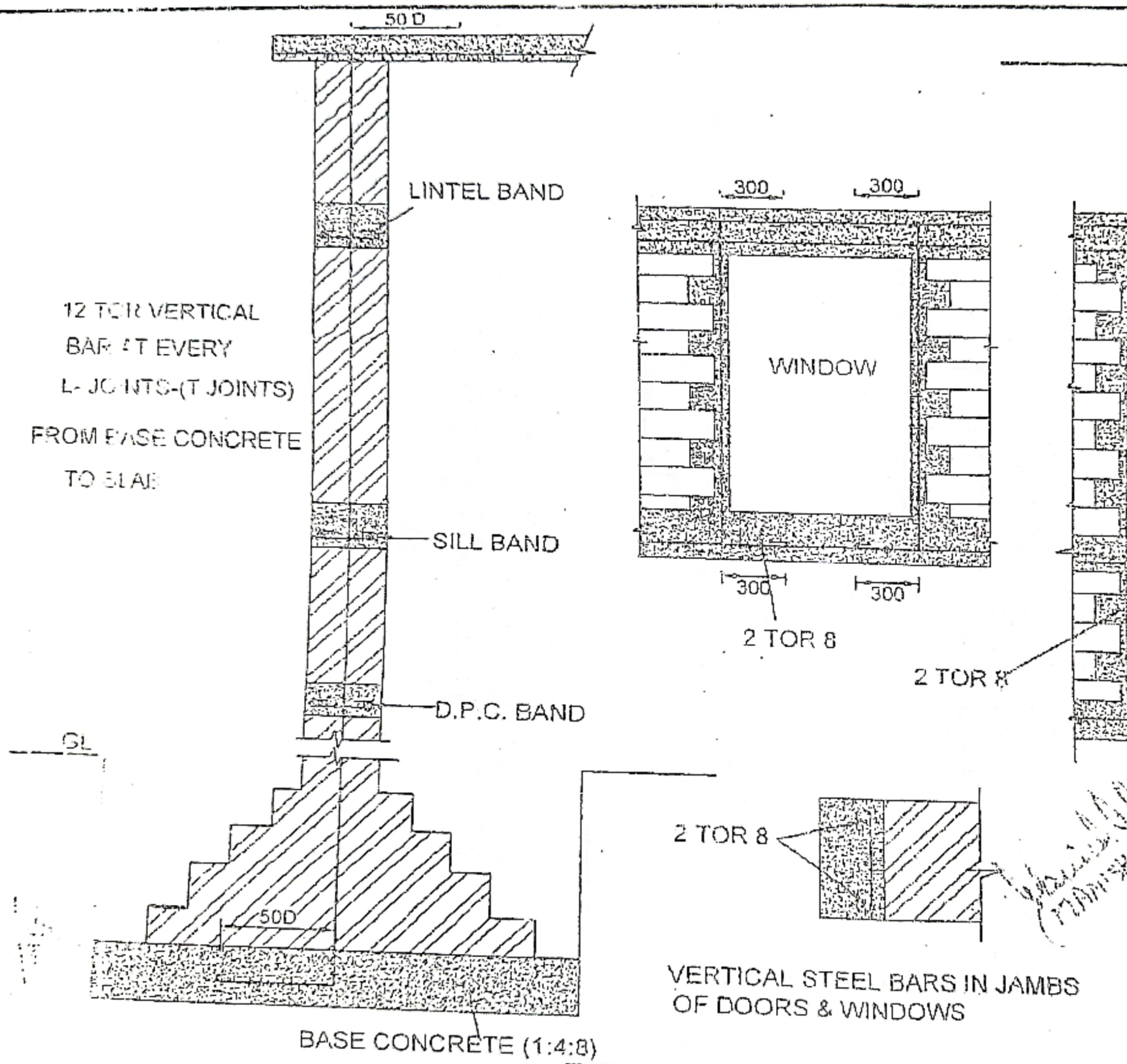

PS DESIGN NO.1

DRG.NO.

S.S.A.STANDARD
SCHOOL MAP
U.P.

(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil)
(RAMESH MISHRA) A.E.(Civil)
S.S.A.
SPO, LUCKNOW
DESIGNED &
DRAWN BY

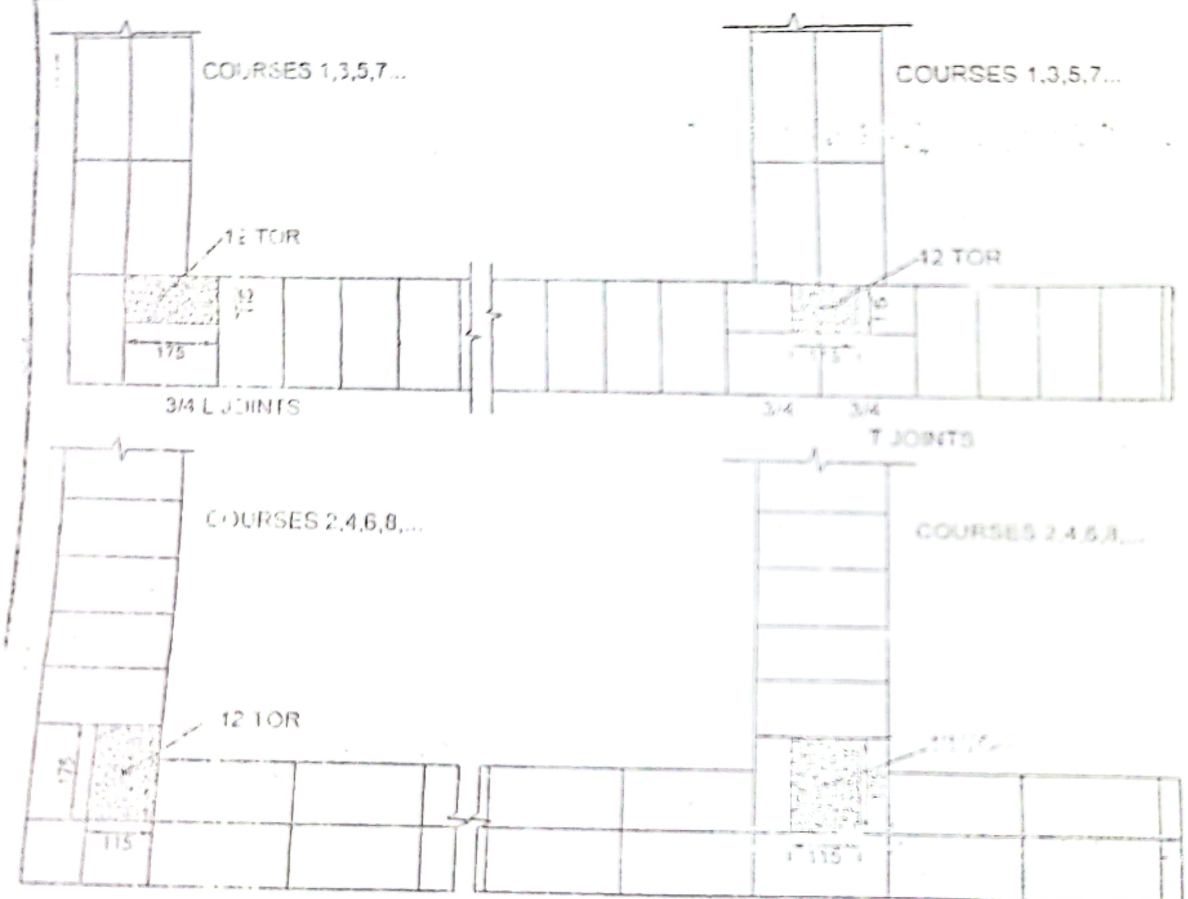

VERTICAL STEEL BARS IN BRICK MASONRY
FOR ADDITIONAL CLASS ROOM

PS DESIGN NO.1

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

DRG.NO.	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) J.E.(Civil) SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

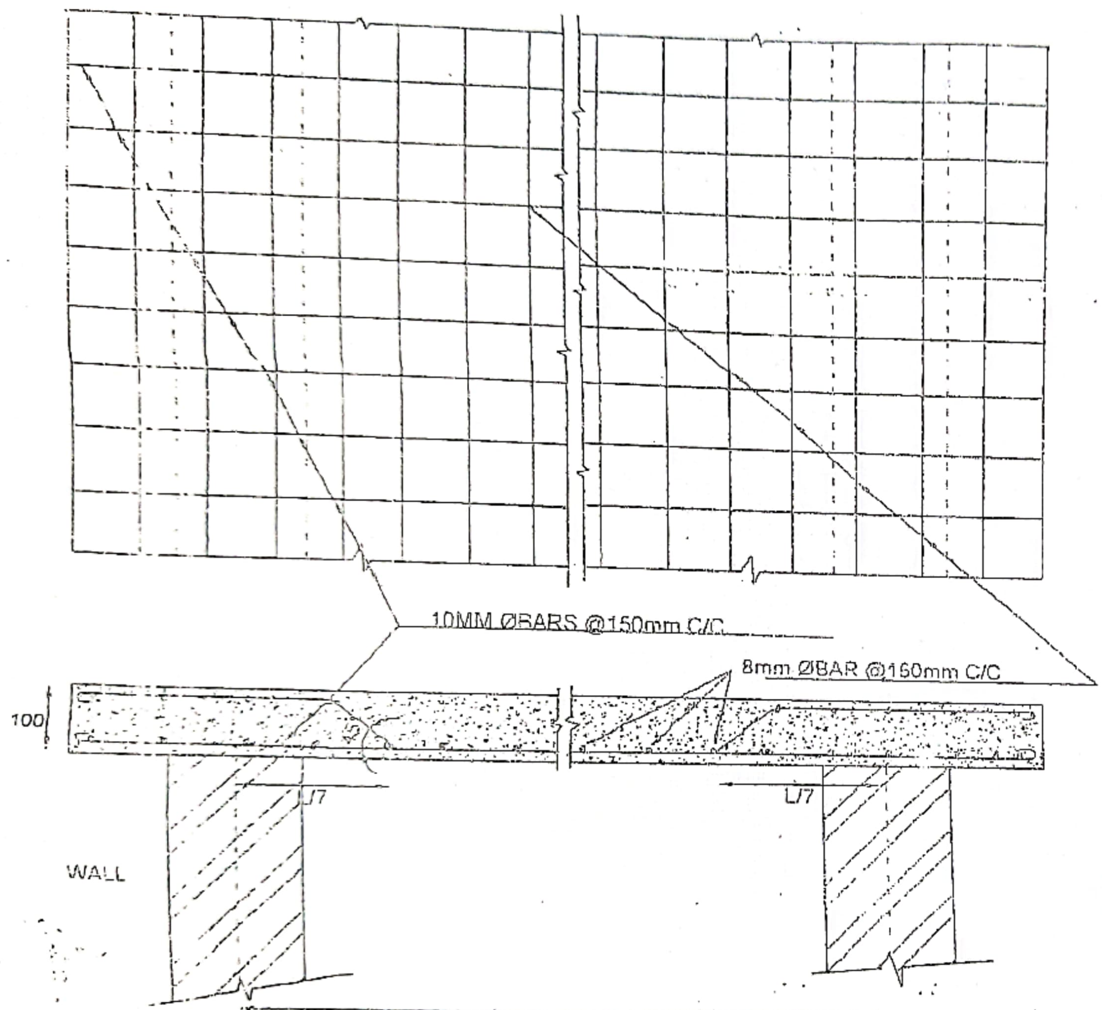

REINFORCEMENT DETAILS OF SLAB

(WITH ANTI EARTHQUAKE PROVISIONS)

PS DESIGN NO.1

NOTES:-

1. REINFORCEMENT SHALL BE ARRANGE AS PER GIVEN SPECIFICATION.
2. M20 (1:1.5:3) CONCRETE SHALL BE USE FOR CASTING THE SLAB AS WELL AS ALL TYPES OF R.C.C. WORKS.
3. PROPER CENTERING AND SHUTTERING SHALL BE DONE. AND SHALL BE CHECKED BY J.E.OR A.E. BEFORE CASTING.

DRG.NO.	
S.S.A.STANDARD SCHOOL MAP U.P.	(S.N.JHA) J.E(B.E.Civil) (... MISHRA) ... (Civil) SPO, LUCKNOW DESIGNED & DRAWN BY

समग्र शिक्षा
उपभोग प्रमाण–पत्र – वर्ष 2023–24
(निर्माण कार्य)

मैं .... प्रधानाध्यापक/सचिव .... (स्कूल/न्याय पंचायत/विकास खण्ड का नाम) वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 .... (अंकों एवं शब्दों में) में से रू0 ....(................अंकों एवं शब्दों में) का उपभोग .... (मद का नाम) यू–डायस कोड (विद्यालय का) .... के कार्य पर किया गया है। यह कार्य समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार पूर्ण कराया गया है।

कार्य पूर्ण होने की तिथि: ....

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पद : अध्यक्ष,
विद्यालय प्रबन्ध समिति
दिनांक: ....

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पद : सचिव,
विद्यालय प्रबन्ध समिति
दिनांक: ....

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पद: खण्ड शिक्षा अधिकारी
(विकास खण्ड का नाम)
दिनांक: ....

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पद: जिला समन्वयक(निर्माण)
(जनपद का नाम)
दिनांक: ....

नोट: उपभोग प्रमाण–पत्र में समस्त अधिकारियों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।